खबर का असर : खनिज विभाग ने अवैध मुरुम उत्खनन पर की कार्यवाही, जेसीबी जब्त

मामला ग्राम पंचायत पड़रा अंतर्गत गोपालदास बांध के समीप दक्षिणी सीमा की निजी पहरी में बिना अनुमति के किया जा रहा था मुरुम का उत्खनन एवं परिवहन

खबर का असर

सीधी 12 सितम्बर। नवभारत में खबर प्रकाशन के पश्चात खनिज विभाग ने अवैध मुरुम उत्खनन पर कार्यवाही करते हुये जेसीबी जप्त किया। मामला ग्राम पंचायत पड़रा अंतर्गत गोपालदास बांध के समीप दक्षिणी सीमा की निजी पहरी में बिना अनुमति के किया जा रहा मुरुम का उत्खनन एवं परिवहन का था।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन तथा खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज दल द्वारा अवैध उत्खनन पर आज कार्यवाही की गई। ग्राम पड़रा, तहसील गोपदबनास स्थित गोपालदास बांध के पास एक बिना नंबर की जेसीबी मशीन (मॉडल 3DX-BSIV, चेसिस क्रमांक HAR3DXS4C03159878) मुरूम के अवैध उत्खनन में पाई गई। मशीन ऑपरेटर गोलू रजक पिता पिंटू रजक निवासी ग्राम पड़रा ने बताया कि वह मशीन मालिक के कहने पर विक्रय हेतु उत्खनन कर रहा था। बिना अनुमति खनिज उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर जेसीबी मशीन को जब्त कर थाना यातायात सीधी में खड़ा कराया गया। मशीन मालिक के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्रवाई में सैनिक शिवशंकर सिंह, नंदीलाल रावत, तेजबहादुर सिंह, अनिल पाठक एवं चालक शंकर दयाल यादव का सराहनीय योगदान रहा।बताते चलें कि राज्य सरकार ने गौण खनिज नियमों में व्यापक संशोधन किया है। इसके तहत अब अवैध परिवहन किए जाने पर ज्यादा जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। अब गौण खनिजों का बिना लाइसेंस भंडारण करना भी अपराध है। ऐसे मामलों में कारावास और जुर्माना दोनों की कार्रवाई की जा सकती है। इन प्रावधानों में ही किसी व्यक्ति के द्वारा खनिज का परिवहन या भंडारण करना अथवा करवाना है और यदि इन उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का कारावास या पांच लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में यह मुख्य खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट पर ही लागू था।

मनमानी : शासन के नियम के विरुद्ध बिना अनुमति खुलेआम हो रहा मुरुम का उत्खनन

मामला ग्राम पंचायत पड़रा अंतर्गत गोपालदास बांध के समीप दक्षिण क्षेत्र की पहरी में हो रहा अवैध उत्खनन, बिना अनुमति लाखों की मुरुम का किया जा चुका है उत्खनन

यह है कार्यवाही का प्रावधान

इनका कहना है

बिना अनुमति के लाखों की अवैध मुरुम का हुआ उत्खनन

लम्बे अर्से से गोपालदास बांध के समीप स्थित पहरी पर संबंधित व्यक्ति द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराया जा रहा था। जिसको लेकर काफी शिकायतें भी सामने आ रही थीं। यहां से निकाले जाने वाले अवैध मुरूम का उपयोग समीप क्षेत्र में भूमि में प्लाटिंग करने के काम में किया जा रहा था। बिना अनुमति के खनिज मुरूम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन से शासन को करोड़ों के राजस्व की चपत लग चुकी है। खनिज विभाग को कार्यवाई के दौरान यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सालों से चल रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन से शासन को हुई राजस्व क्षति की वसूली का आंकलन भी सही तरीके से करते हुये शासन के कोष में इसको जमा कराया जाय।

इनका कहना है

शहर के पड़रा स्थित गोपालदास बांध के पास आज दबिश देकर उनके द्वारा अवैध उत्खनन में लगी एक बिना नम्बर की जेसीबी मशीन जब्त की गई है। बिना अनुमति खनिज उत्खनन एवं परिवहन करते पाये जाने पर जेसीबी मशीन को जब्त कर थाना यातायात में खड़ा कराया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

शिशिर यादव, खनिज निरीक्षक सीधी

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस 23 व मॉप अप दिवस का आयोजन 26 को

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। स्वास्थ्य विभाग सीधी द्वारा जानकारी दी गई कि भारत सरकार के निर्देशानुरूप प्रदेश में 23 सितम्बर को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस और 26 सितम्बर 2025 को मॉप अप दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

इस अभियान का उद्देश्य 1 से 19 वर्षीय बच्चों और 20 से 49 वर्ष की प्रजनन आयुवर्ग की महिलाओं में कृमिनाशन करना है। कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास को बाधित होने से बचाना और कृमि संक्रमित हितग्राही के पोषण और अवशोषण स्तर पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। इस कार्यक्रम का नोडल विभाग स्वास्थ्य विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय करके कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। शालाओं और आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी में एल्बेंडाजॉल गोली का सेवन सुनिश्चित किया जाएगा। एलबेंडाजोल गोली 1 से 19 वर्षीय बच्चे और 20 से 49 वर्ष की प्रजनन आयुवर्ग की महिलाएं जो गर्भवती और धात्री नहीं हैं उन सभी को सेवन कराया जाएगा।

राज्य स्तर से जिले में 521912 हितग्राहियों को स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कृमिनाशन की गोली का सेवन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएमएचओ डॉ.बबिता खरे ने आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस के दिन लक्षित हितग्राहियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मोबिलाइज करने के लिए निर्देशित किया है। राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस में आशाओं द्वारा हितग्राहियों के मोबिलाईजेशन हेतु राशि रू. 100 प्रति आशा के मान से प्रोत्साहन राशि प्रावधानित है।

राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक विजेताओं एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित मुक्केबाजों का सांसद ने किया सम्मान

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। विगत दिनों 8 से 11 सितम्बर तक गुना जिले में शालेय राज्य स्तरीय 14 वर्ष बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें रीवा संभाग की तरफ से सीधी जिले से 10 मुक्केबाज उक्त प्रतियोगिता मे सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए आदित्य सिंह एवं रोहित साहू ने स्वर्ण पदक जीतकर महाराणा प्रताप एकेडमी के साथ सीधी जिले की उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराई है।

स्वर्ण पदक विजेता जब अपने गृह जिले पहुंचे तो सीधी लोकसभा सांसद डॉ.राजेश मिश्रा द्वारा खिलाड़ियों को पदक पहनकर बधाई दी गई। साथ ही प्रतियोगिता में कुश सिंह चौहान के द्वारा रजत पदक एवं दीपांशु द्विवेदी, दिव्यराज सिंह, पियूष विश्वकर्मा, गुड्डु पाठक के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। सीधी जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव राजकुमार गुप्ता ने बताया कि बॉक्सिंग संघ के द्वारा जिले में महाराणा प्रताप बॉक्सिंग एकेडमी कई वर्षो से संचालित की जा रही है जिसमें मुख्य कोच के रूप में सूरज शुक्ला एवं सहायक कोच के रूप मे आदर्श द्विवेदी कार्य कर रहे है। 2018 के बाद हमारे एकेडमी से 2 मुक्केबाज राष्ट्रीयस्तर की प्रतियोगिता मे सम्मिलित हो रहे है। आगामी दिनों मे ग्वालियर मे आयोजित होने वाली 17 एवं 19 वर्ष की बालक-बालिका शालेय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एकेडमी के मुक्केबाज सम्मिलित होंगे। जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष डॉ.अनूप मिश्रा ने जानकारी दी कि सीधी जिला बॉक्सिंग संघ के बच्चे काफी मेहनत कर संघ, एकेडमी एवं जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। यह अत्यंत गौरव की बात है हमारा आशीर्वाद एवं सहयोग सदैव बच्चों के साथ है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले मुक्केबाजों, कोच एवं सीधी जिला बॉक्सिंग संघ को डीईओ पवन सिंह, जिला क्रीड़ा प्रभारी हरिशंकर पाण्डेय, ब्लाक क्रीड़ा अधिकारी दिलीप वर्मा, वरिष्ठ पीटीआई मो.असरफ, विश्वबंधुधर द्विवेदी, रवि केशरी, खेल प्रशिक्षक कैलाश वर्मा, डॉ.रामाश्रय पाल, आनंद सिंह गहरवार, ज्ञानेन्द्र सिंह, विनोद कुशवाहा, अनिल कुमार विश्वकर्मा, सहायक कोच सत्यम शुक्ला, प्रभाकर सिंह, पीयूष पटेल आदि ने बधाई दी एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज, 21 न्यायिक खंडपीठों में होगा प्रकरणों का निराकरण

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को जिला मुख्यालय सीधी तथा तहसील चुरहट, मझौली एवं रामपुर नैकिन में किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर की अध्यक्षता में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयाग लाल दिनकर ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलो के साथ-साथ जलकर व बिजली के बिल संबंधी प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कराया जायेगा। पूर्व में आयोजित (10 मई) नेशनल लोक अदालत में मीडिया, अधिवक्ताओं, नगर पालिका, विद्युत विभाग, बैंक एवं राजस्व विभाग के सराहनीय सहयोग से बेहतर परिणाम निकलकर आये हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया है कि आप सबके सहयोग से इस बार भी बेहतर परिणाम निकलकर आयेंगे। जिसमें आमजन को राजीनामा योग्य प्रकरणों का लाभ दिलाते हुए लोक अदालत को सफल बनायेगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि जिला मुख्यालय सीधी में प्रात: 10.30 बजे स्थानीय एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर में प्रयाग लाल दिनकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा अन्य न्यायाधीशगण एवं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उपस्थिति में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु 21 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है।

न्यायिक खण्डपीठों का किया गया गठन

जिला न्यायालय सीधी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम यतीन्द्र कुमार गुरु, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दीपक शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी, तृतीय जिला न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक साहू एवं श्रम न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण हेतु श्रम न्यायाधीश सुशील गहलोत की न्यायिक खंडपीठ का गठन किया गया है। सिविल न्यायालय चुरहट में न्यायिक मजिस्ट्रेट लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल त्रिपाठी एवं सिविल न्यायालय मझौली में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शिवागी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रूची परते तथा सिविल न्यायालय रामपुर नैकिन गे न्यायिक मजिस्ट्रेट परमानंद सनोडिया एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अरहम खान की खंडपीठों का गठन किया गया है।

बहरी में आज शाम कवियों की सजेगी महफिल

बहरी 12 सितम्बर। द कलाकृति फाउंडेशन द्वारा बहरी बस स्टैण्ड में 13 सितम्बर की शाम 6 बजे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कवि सम्मेलन में सत्येंद्र सेंगर रीवा, सत्येंद्र सजग देवतालाब, अमित शुक्ला रीवा, अरुणिमा पाठक सीधी, बृजेश सिंह सरल रायपुर कर्चुलियान, अतुल उपाध्याय पटवारी सीधी, नीरज निर्मोही मऊगंज, हर्ष पाण्डेय सीधी, अरुणेन्द्र सिंह सीधी, प्रियांशु मिश्रा सीधी सहित कई दिग्गज श्रृंगार, ओज, वीर रस और हास्य कवि शिरकत करेंगे। कवि सम्मेलन के सह संयोजक श्री गणेश युवा कला एवं समाज कल्याण समिति बहरी परिवार द्वारा क्षेत्र के सभी साहित्य प्रेमियों और नागरिकों को सम्मिलित होने आमंत्रित किया गया है।

अतिथि शिक्षकों पर जोर, नियमित शिक्षकों को छूट : रविकांत

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। सरकार पिछले कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नियमित शिक्षको में नकेल कसने के लिए ई अटेंडेंट लागू करने का प्रयास कर रही थी। इस वर्ष जहां तक उन्होंने इसे जैसे-तैसे लागू भी किया लेकिन नियमित शिक्षकों के विरोध के बाद उन्हें इससे मुक्त रखा गया, जबकि सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में अतिथि शिक्षको के ऊपर अधिकारियों ने पूरा जोर कस दिया।

जबकि अतिथि शिक्षक तीन महीने बेरोजगार रहने के बाद सेवा में लगे हैं। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने बताया है कि अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस से दिक्कत नहीं है लेकिन व्यवहारिक समस्याओं और ऐप में व्याप्त तमाम विसंगतियों के कारण ई अटेंडेंस व्यवहारिक नहीं है। हजारों ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं, ई अटेंडेंस लगाने पर 502 गेटवे एरर आता है। काफी समय तक लॉगिन और लॉगआउट नहीं हो पाता है। हजारों अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं हैं, वह विगत चार माह से बेरोजगार थे। वर्तमान में दो माह से मानदेय नहीं मिला है।

अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान होने पर एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध करवाएं या परिवार का भरण पोषण करें। क्योंकि उनकी अतिथि शिक्षकों को वर्गवार 10, 14 और 18 हजार रुपए मानदेय मिलता है। यदि सरकार स्कूल में ही डिवाइस उपलब्ध करवा दे तब स्थिति सुधर सकती है।

ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर हो भुगतान : राकेश

जिला सचिव राकेश मिश्रा ने बताया है कि ई अटेंडेंस के आदेश सबके लिए किए गए थे। एक तरफ स्थाई शिक्षकों को जुलाई अगस्त माह के वेतन का भुगतान ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर हो चुका है तो अतिथि शिक्षकों का मानदेय रोकने का कोई औचित्य नहीं है। स्थाई शिक्षकों की भांति अतिथि शिक्षकों का भुगतान भी ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाय।

लाड़ली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि प्रदेशभर के पात्र हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर सीधी जिले की 2 लाख से अधिक महिलाओं और 97 हजार से अधिक पेंशन हितग्राहियों को लाभ मिला।

सीधी जिले में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत 2 लाख 9 हजार 731 महिलाओं के खातों में प्रति महिला 1250 रूपये के मान से कुल 25 करोड़ 73 लाख रूपये से अधिक की राशि जमा की गई। उज्वला योजना अंतर्गत जिले के 51135 हितग्राहियों को गैस रिफिलिंग के लिए 63 लाख 20 हजार 226 रूपये की राशि दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष से जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रवेश मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा हितग्राहियों ने सहभागिता की। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा ने बताया कि लाड़ली बहना योजना का लाभ जनपद पंचायत कुसमी की 17406, मझौली की 29206, रामपुर नैकिन की 44114, सीधी की 54608 और सिहावल की 51574 महिलाओं के साथ-साथ नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों की महिलाओं को भी मिला। इसी तरह, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत जिले के 97,382 पात्र हितग्राहियों के खातों में 5 करोड़ 84 लाख 29 हजार 200 की राशि अंतरित की गई। इसमें जनपद पंचायत कुसमी के 6606, मझौली के 13484, रामपुर नैकिन के 18886, सीधी के 26667, सिहावल के 26857 तथा नगरीय निकायों के 4882 पात्र हितग्राही शामिल हैं। इस राशि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, नि:शक्तजन योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, कल्याणी पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को 600 रूपये प्रति माह के मान से लाभ प्रदान किया गया।

जनपद पंचायत सीधी में आदिकर्म सहयोगी प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। जनपद पंचायत सीधी में 11 एवं 12 सितम्बर को दो दिवसीय आदिकर्म सहयोगी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की टीम द्वारा दिया गया। इस अवसर पर एडिशनल सीईओ जिला पंचायत, सीईओ जनपद पंचायत सीधी, बीपीओ, एपीओ, पीसीओ सहित खंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य अनु. जनजाति क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को आदि सेवा केन्द्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, राजस्व, वन, आदिवासी विकास, कृषि एवं पशुपालन विभाग के समन्वित प्रयास किए जाएंगे। सचिव, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और शिक्षक आदि कर्मयोगी सहयोगी कहलाएंगे, जबकि पंच, सरपंच, उपसरपंच, जनपद सदस्य, समितियों के सदस्य, स्वसहायता समूह, समाजसेवी, युवा और महिलाएं आदि कर्मयोगी साथी माने जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक विभाग की योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में 115 ग्राम पंचायतों के आदिवासी युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में आमंत्रित किया गया है।

वैश्विक ज्ञान परिदृश्य निरंतर बदल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नई परिकल्पना के साथ प्रस्तुत : डॉ .दिलीप

कमला कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन

नवभारत न्यूज

सीधी 12 सितम्बर। स्थानीय कमला स्मृति महाविद्यालय पड़रा में गुरूवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमे सबसे पहले महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.रोहित सिंह चौहान और मुख्य अतिथि सह वक्ता के रूप में सम्मिलित प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी के प्राध्यापक डॉ.दिलीप कुमार सोनी द्वारा श्रीगणेश और मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

मुख्य अतिथि डॉ.दिलीप कुमार सोनी ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों को नई शिक्षा नीति 2020 को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि नवीन सत्र 2025-26 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मेजर विषय के तीन पेपर एवं माइनर विषय के दो पेपर बहु विषयक (एमडीसी) विषय का एक पेपर प्रत्येक विद्यार्थी को देना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को परीक्षा में कम से कम 35 अंक लाना प्रत्येक विषय में अनिवार्य है, साथ ही अपने व्याख्यान में कहा कि वैश्विक ज्ञान परिदृश्य निरंतर बदल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक नई परिकल्पना के साथ प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने छात्रों को सेमेस्टर प्रणाली, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री व्यवस्था को सरल भाषा में समझाया। साथ ही शिक्षा नीति के उद्देश्य, प्रमुख बिन्दु, क्रियान्वयन की प्रक्रिया, संभावित चुनौतियां और शिक्षक-विद्यार्थियों से अपेक्षाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि इस नीति का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास है। इसी दिशा में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में यह नीति विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए सहायक प्राध्यापक विनय त्रिपाठी ने कहा कि इस नीति में गुणवत्तापूर्ण व रोजगारोन्मुख शिक्षा, छात्र केन्द्रित, समावेशी व कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम संयोजक सहायक प्राध्यापक मंगलेश्वर गुप्ता द्वारा आभार वक्तव्य में नयी शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही बताया गया कि एनईपी बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि को महाविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

इस मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ .सुनीता सक्सेना, डॉ .प्रीति पाण्डेय, डॉ .प्रीति शुक्ला, डॉ .मनीष गिरि, डॉ .पी .एन .सिंह चौहान, धर्मेन्द्र द्विवेदी, मनोज कुमार द्विवेदी, जी .डी .द्विवेदी, नरेन्द्र मिश्रा, नीतू सिंह, सुषमा देवी तिवारी, हंसराज सिंह चौहान, अभिनव शुक्ला, प्रदीप सोनी, सुरेश प्रसाद पनिका, अन्नू जायसवाल, आर .पी .भट्ट, पन्नेलाल गोस्वामी, जय नारायण विश्वकर्मा सहित सभी प्राध्यापक और कर्मचारी उपस्थित रहे।